विधि विद्यापीठ

उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण पत्र (सी.सी.पी)

सत्रीय कार्य : जनवरी, 2025 और जुलाई, 2025

प्रिय विद्यार्थी,

विश्वविद्यालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आपको एक सत्रीय कार्य पूरा करना है।

आप पाएंगे कि सत्रीय कार्यों में दिए गए प्रश्न विश्लेषणात्मक (analytical) और वर्णनात्मक (descriptive) हैं ताकि आप अवधारणाओं को बेहतर ढंग से जान और समझ सकें।

यह महत्त्वपूर्ण है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। स्मरण रहे कि सत्रीय कार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपके लेखन कौशल में सुधार होगा और आप सत्रांत परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

स्त्रीय कार्य जमा कराना

आपको अपने अध्ययन केंद्र के संचालक (Co-ordinator) के पास सत्रीय कार्य जमा कराने हैं। आपको जमा कराए गए सत्रीय कार्यों के लिए अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य लेनी चाहिए और इसे अपने पास रखना चाहिए। आप जो सत्रीय कार्य जमा कराएं, कृपया उसकी फोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखें।

मूल्यांकन करने के बाद, अध्ययन केंद्र आपको सत्रीय कार्य लौटा देगा। कृपया जाँचे गए सत्रीय कार्यों के लिए आग्रह कीजिए। अध्ययन केंद्र इग्नू स्थित विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, नई दिल्ली को अंक भेजेगा।

आपको अपने अध्ययन केंद्र में नीचे लिखे अनुसार सत्रीय कार्य जमा कराने हैं :

जनवरी के लिए 30 अप्रैल, 2025

जुलाई के लिए 30 **अक्टूबर** 2025 तक

सत्रीय कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश

हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्रीय कार्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। आपको इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा :

1) **योजना :** सत्रीय कार्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उन इकाइयों का अध्ययन कीजिए जिन पर वे आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कुछ बिंदु तैयार कीजिए और फिर उन्हें तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
2) **आयोजन :** अपने उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार करने से पहले थोड़ा चयन और विश्लेषण कीजिए। प्रश्न की प्रस्तावना (परिचय) और निष्कर्ष पर पर्याप्त ध्यान दीजिए।
   यह सुनिश्चित कर लें कि :
   क) उत्तर तर्कसंगत और उपयुक्त है।
   ख) वाक्यों और पैराग्राफों का स्पष्ट मेल है।
   ग) आपकी अभिव्यक्ति में प्रस्तुतिकरण सही है।
3) **प्रस्तुतिकरण :** एक बार अपने उत्तर से संतुष्ट होने पर आप सत्रीय कार्य जमा कराने के लिए अंतिम रूप (पाठ) लिख सकते हैं। **अपनी लिखाई में सभी सत्रीय कार्य स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है।** यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप जिन बिन्दुओं पर जोर देना चाहते हैं, उनको रेखांकित कीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आपका उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में होना चाहिए।

शुभकामनाओं के साथ

कार्यक्रम संचालक (सी.सी.पी.)

सी.पी.आई 102: उपभोक्ता शिकायतो का निवारणः विभिन्न हितधारकों की भूमिका

पाठ्यक्रम कोड : सी.पी.आई–102
सत्रीय कार्य कोड : सी.पी.आई–102/टीएमए/2025
कुल अंक : 100

सभी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। **(अंक)**

1. राज्य सरकार एवं निकायों द्वारा प्रदत्त उपभोक्ता कल्याणकारी निधि के तहत विविध योजनाओं की चर्चा कीजिए। 10
2. भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग (FICCI) के महत्वपूर्ण प्रकार्यों की चर्चा कीजिए। 10
3. स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन वी.सी.ओ और गैर सरकारी संगठनों एन.जी.ओ. के प्रकार्यो की चर्चा कीजिए। 10
4. एक उपभोक्ता कार्यकर्ता के लिए क्या करें और क्या न करें की चर्चा कीजिए। 10
5. विज्ञपनों को नियंत्रित करने वाले विविध कानूनों की चर्चा कीजिए।
6. उपभोक्ता मुददों एवं विवादों की जिन क्षेत्रों मे अधिक संभावना है उन क्षेत्रों की चर्चा कीजिए। 10
7. 'मध्यस्थता' पर सविस्तार नोट लिखिए। 10
8. बैंक लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के विविध आधार कौन से हैं। चर्चा कीजिए। 10
9. उपभोक्ता इंटरपोल पर नोट लिखिए। 10
10. संक्षिप्त नोट लिखिए।
    (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन। 5
    (ख) ग्राहक सुविधा केंद्र। 5